TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3(11)

GOVERNMENT OF INDIA

(BHARAT SARKAR)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(GRIH MANTRALAYA)

New Delhi, the 29th July, 1975.

NOTI FI CATION

(1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the powers of the Central Covernment under section 35 and section 38 of the Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1953) shall, subject to the control of the President and until further orders, be exercised by the Administrator (Lieutenant Covernor) of the Union territory of Delhi.

Vancace la

(H.C. BAKHSHI)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

To

The Manager, Government of India Press, Mayapuri Industrial Area (near Rajouri Garden), Ring Poad, NEW DELHI. राजपत्र आग २, खण्ड 3, उपलण्ड (ii) में प्रवाशनार्थ)

भारत सरकार

नई दिल्ली, तारिष 29 जुलाई, 1975

अधिस्नना

कार अपित कि कि प्राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसूरण में, स्तद्द्वारा निदेश देते हैं कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) की धारा 35 और धारा 38 के अधीन के-द्रीय सरकार की अधितयों का प्रयोग, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और जब तक की अधितयों का प्रयोग, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और जब तक और आदेश न हो, दिल्ली संघ राज्यदों त्र के प्रशासक (उपराज्यपाल) द्वारा

विमा जारगा।

(सं0 यू. -1103011175-यू0 टी० एल०)

(हिशि च-द बख्शी) अवर सचिव, भारत सरकार

सवा मै

A 77 (T71

प्रबन्धक, प्रवास्य, भागत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी इण्डस्ट्रियेल शिया, शिंड, नई दिल्ली।